ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीता देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री कुलवीर सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राम पाल	01.04.13 से 06.08.13
2	श्री कमल सिंह	07.08.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत टप्पा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.38
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	7.50
3	10	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.38
4	11	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	7.49
5	14	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.41

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2016 से 27.08.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 11/13, 1/15 व 4/16 तथा 7/13, 8/14 व 5/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141 दिनांक 27.08.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत टप्पा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत टप्पा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

(1) स्वः स्त्रोतः— ग्राम पंचायत टप्पा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	392595	277811	670406	497275	173131
2014—15	173131	215477	388608	141861	246747
2015—16	246747	127336	374083	277450	96633

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत टप्पा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	103804	2779360.50	2883164.50	2665044	218120.50
2014–15	218120.50	1726493.23	1944613.73	1744402.23	201211.50
2015–16	201211.50	2577494.79	2778706.29	2028593.79	750112.50
	दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2) (96633+750112.50)				**₹846745.50**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि का नाम	इन्दौरा स्थित KCCB खाता सं0	राशि
1	मनरेगा	20080003451	04
2	आई0ए0वाई0	50053852190	308
3	आई0डब्लयूएम0पी0	50058942556	2631
4	एम0पी0लैड (MP LAD)	50055814072	46159
5	एन0वी0ए0	50055659503	81428
6	13वां वित्त	50053852098	503280
7	एन0सी0आर0एफ0	50060445482	3374
8	एन0आर0एच0एम0	50055659478	10303
9	3rd वित्त	50055659456	597.50
10	वी0के0एन0वाई0	50055659490	92658
11	वी0एम0जे0एस0वाई0	50055659489	260
12	एस0डी0पी0	50055814061	5416
13	आर0जी0ए0वाई0	50055659467	3694
14	सभा निधि	20076007066	95751
		योग	**₹845863.50**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	846745.50
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	845863.50
(ग)	**हस्तगत राशि**	**882.00**

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत

G.P.Barshaini

की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.38 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नविवरणानुसार राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	कुल ब्याज (₹)
20080003451	4894	269	—	5163
50053852190	617	830	308	1755
50058942556	—	2074	102	2176
50055814072	500	828	1167	2495
50055659490	426	1135	3156	4717
50055659503	537	1297	4994	6828
50060445482	—	286	518	804
50053852098	984	2047	3791	6822
50055659478	16	10	10	36
50055659489	613	8	8	629
50055814061	1888	2677	313	4878

50055659467	287	157	250	694
50055659456	71	282	247	600
जोड़	**10833**	**11900**	**14864**	**37597**

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान स्व स्त्रोत जैसे कि गृह कर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹7.50 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹750112 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹37634 की वसूली शेष थी।

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	30	9300	9330	शून्य	9330
2014–15	9330	9275	18605	शून्य	18605
2015–16	18605	9500	28105	शून्य	28105

(2) भू राजस्वः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	16973	4420	21393	22082	689
2014–15	689	4420	5109	–	5109
2015–16	5109	4420	9529	–	9529

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹7.49 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹748524 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P.Barshaini

12 सामान्य निधिः—
₹1518 के अनियमित भुगतान बारेः—

वाऊचर संख्या 43 दिनाँक 17.9.13 द्वारा मस्ट्रोल संख्या 184116 दिनांक 16.6.13 के लिए ₹7969/—का भुगतान किया गया अभिलेख की जांच में पाया गया कि क्रमांक 1 पर श्री कुलदीप सिंह मिस्त्री की पहली दैनिकी दिनांक 16.6.13 से लगाई गई थी जबकि क्रमांक 2, 3 व 7 पर लगाए गए मजदूरों की दैनिकी दिनांक 13.6.13 से लगाई गई थी तथा क्रमांक 5 व 6 पर लगाए गए मजदूरों की दैनिकी दिनांक 15.6.13 से लगाई गई थी जोकि अनियमित है। मजदूरों की दैनिकी उनके क्रमवार आगमन पर दर्शाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार कुल 11 मजदूरों को हाजरी अनियमित रूप से दर्शाकर ₹1518/— का अनियमित भुगतान किया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि सम्बन्धित पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

14 ₹1.41 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 056 दिनांक 12.8.14 के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान दर्शाया गया जिससे सम्बन्धित विधिवत औपचारिकताऐं व बिल जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	13/12.8.14	श्री ईश्वर सिंह का बजरी, रेत पत्थर आदि का भुगतान	57500
2	14/12.8.14	—यथोपरि—	28000
3	15/12.8.14	—यथोपरि—	7500
4	16/12.8.14	श्री ओम प्रकाश को पानी की आपूर्ति का भुगतान	10000
5	17/12.8.14	श्री राम लाल का शैटरिंग के किराये का भुगतान	19990
6	18/12.8.14	श्री शाम लाल को मिक्सर के किराये का भुगतान	18000
		जोड़	**140990**

अतः अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए।

15 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹20 लाख के कार्य निष्पादन बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹20 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार सहभागी समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 35/2016—खण्ड—1—6542—6545 दिनाँकः16.12.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

ग्राम पंचायत टप्पा विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	सामान्य निधि	28 / 26.7.13	मै0 एक्सपार्ट ड्रिलरज जयपुर को वोर वैल के लगाने का भुगतान	207880
2	मनरेगा	33 / 23.8.13	मै0 चौधरी हार्डवेयर स्टोर चनौर से खरीद किए गए सरिये आदि का भुगतान	65936
3	मनरेगा	34 / 23.8.13	मै0 पठानकोट ब्रिक मैनुफैक्चरिंग की इन्टो की आपूर्ति का भुगतान	37800
4	मनरेगा	35 / 23.8.13	–यथोपरि–	37800
5	मनरेगा	54 / 23.8.13	मै0 शमशेर वुडन वर्कस भप्पू को इमारती लकडी आपूर्ति हेतु भुगतान	93093
6	मनरेगा	26 / 1.10.14	–यथोपरि–	117808
7	मनरेगा	25 / 23.7.15	श्री दर्शन सिंह को रेत, बजरी, पत्थर व शटरिंग आदि का भुगतान	128767
8	सामान्य निधि	27 / 11.8.14	श्री सोम राज से रेत, बजरी, पत्थर शटरिंग आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	59440
				748524

G.P.Barshaini

ग्राम पंचायत टप्पा, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन का विवरण

(परिशिष्ट–3) (पैरा 15 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**निधि**	**अनुमानित राशि**
1	निर्माण भारत राजीव गाँधी सेवा केन्द्र	मनरेगा	100000
2	निर्माण कुआँ ओंकार सिंह की जमीन में	मनरेगा	300000
3	निर्माण तालाब नजदीक महिला मण्डल टप्पा	मनरेगा	200000
4	निर्माण जीप योग्य रास्ता दरगोह से रत्न सिंह की जमीन तक	मनरेगा	500000
		कुल	**2000000**

G.P.Barshaini